डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
पूसा (समस्तीपुर) – 848 125, बिहार

आ0 सं0– 02 स्था0/..............76................/ रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा दिनांक 29/04/2021

आदेश

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आज दिनांक 29.04.2021 को अधिष्ठाता/निदेशक की उपस्थिति में हुई बैठक में कोरोना वाइरस महामारी की दूसरी लहर देश के अनेक भागों सहित बिहार राज्य में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश संख्या– जी0/आपदा/06–02/2020–44/ बी0 स0 को0, पटना दिनांक 28.04.2021 में लिए गए निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय में संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के उपरान्त संक्रमित/असंक्रमित अधिकारियों तथा कर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसके पिछले विभिन्न अदेशों/परिपत्रों के अनुपालन के अतिरिक्त निम्नांकित निर्णय दिनांक 30.04.2021 से अगले आदेश तक लागू करने का निर्णय लिया जाता है।

1. दिनांक 30.04.2021 से विश्वविद्यालय के सभी कार्यालय प्रतिदिन 09:30 बजे पूर्वाह्न से 02:30 बजे अपराह्न तक बिना भोजनावकाश के निरंतर खुले रहेंगे। उसके बाद कार्यालय बंद हो जाएगा।
2. पूर्व के आदेश में कार्यालय में रोस्टर की जो व्यवस्था की गई थी वह लागू रहेगी। इस रोस्टर ड्यूटी के दौरान कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अवकाश लेकर अनुपस्थित नहीं रहेंगे, और न ही विश्वविद्यालय परिसर से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।
3. आवश्यक सेवा जैसे विश्वविद्यालय अस्पताल/ सुरक्षा/ सम्पदा/ निदेशालय (बीज)/ अभियंत्रण शाखा (जल प्रबंधन)/ विद्युत शाखा/ अतिथि भवन/पूसा फार्म/ डेयरी/एरिस सेल इत्यादि रोस्टर ड्यूटी से मुक्त रहेंगे।
4. सभी अधिष्ठाता/सभी निदेशक/सभी नियंत्री पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि अपने इकाईयों/विभागों के कर्मियों पर विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी कर्मी विश्वविद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि विश्वविद्यालय अभी भी प्रतिबंधित कोरोना प्रभावित क्षेत्र घोषित है। इसके संबंध में की गई ढिलाई की जिम्मेदारी संकाय के अधिष्ठाता की होगी।
5. समस्त विश्वविद्यालय कर्मियों को आदेशित किया जाता है कि किसी भी सामूहिक भोज/समारोह में सम्मिलित नहीं होंगे। यदि कोई कर्मी इस प्रकार की गतिविधि में उपस्थित पाए जाते है तो लौट कर आने के बाद 15 दिनों तक क्वारन्टीन अवधि में स्वयं के अवकाश पर रहने के बाद कोरान निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही कार्यालय में आएंगे।
6. सभी विश्वविद्यालय परिसर में सप्ताहांक में वृहत सैनिटाईजेसन का कार्यक्रम सम्पदा शाखा द्वारा किया जाएगा। जिसकी व्यवस्था सम्पदा पदाधिकारी द्वारा निम्न पदाधिकारियों की देख–रेख में किया जाएगा।

क) i) डॉ0 अम्बरीश कुमार, अधिष्ठाता, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा
ii) डॉ0 सोमनाथ राय चौधरी, अधिष्ठाता, आधार विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, पूसा

उक्त पदाधिकारियों की देख–रेख में शैक्षणिक प्रांगण यथा कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा; आधार विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, पूसा; सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, पूसा; स्नातकोत्तर कृषि महाविद्यालय, पूसा; प्रसार शिक्षा निदेशालय, पूसा; विश्वविद्यालय पुस्तकालय; अनुसंधान निदेशालय; विश्वविद्यलय मुख्यालय एवं अन्य विभाग।

ख) i) डॉ0 ए0के0 सिंह, निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा
ii) डॉ0 के0वी0 रामप्पा, निदेशल कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रबंधन विद्यालय, पूसा

उक्त पदाधिकारियों की देख–रेख में ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा; कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रबंधन विद्यालय, पूसा एवं किसान विद्यापीठ स्थित न्यू रिसर्च बिल्डिग।

ग) i) डॉ0 पी0 पी0 सिंह, निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, ढोली।
ii) डॉ0 आर0के0 पाठक, उप कुलसचिव,स्थापना।

उक्त पदाधिकारियों की देख–रेख में पूसा परिसर स्थित सभी आवासीय बिल्डिंग, पूसा फार्म, पूसा एवं केन्द्रीय कर्मशाला।

उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधान के अन्तर्गत अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

29/4/21

उप कुलसचिव (स्था0)

प्रतिलिपिः–

सभी अधिष्ठाता एवं निदेशक/कुलसचिव/नियंत्रक/सभी नियंत्री पदाधिकारी/विभाग प्रधान/प्रभारी एरिस सेल, रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। एरिस सेल को उक्त आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कार्बन प्रति– कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।